

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0-1-68/2018/स्वा0/पटना,दिनांक /सिविल सर्जन,
रोहतास, सासाराम के ज्ञापांक दिनांक 2756 दिनांक 20.11.2018 द्वारा प्रतिवेदित हे कि
डा0 आसित रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संझौली, रोहतास को
थाना काण्ड सं0 डिहरी (टी0)-1012/2018 में दिनांक 16.11.2018 से 19.11.2018 तक
न्यायिक हिरासत में रखे गए थे। इनकी हिरासत अवधि 48 घंटे से अधिक थी।

अतः डा0 आसित रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संझौली,
रोहतास को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के
नियम 9 2(क) के तहत दिनांक 16.11.2018 से 19.11.2018 तक की अवधि के लिए
निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में डा0 रंजन को नियमानुसार मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय
होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक: 560(9) /स्वा0, पटना, दिनांक: 22/5/2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले एवं ह0) बिहार पटना/प्रशासी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0
को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम/संबंधित कोषागार पदाधिकारी
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अपर- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन
रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त
सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 आसित रंजन, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, संझौली,
रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,